संशोधित नियमावली

1–संस्था का नाम : जनसेवा कल्याण समिति
2–संस्था का पता : ग्राम अन्दवॉ पोस्ट सरायइनायत, वि0ख0 बहादुरपुर जिला इलाहाबाद
3–संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

4–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग

संचालक सदस्य — 1– इस संस्था की स्थापना जिन द्वारा हो रही है ये संस्थापक सदस्य कहलायेगे और आजीवन रहेगे।

आजीवन सदस्य — 2– बौद्ध धर्मावलम्बी व्यक्तियो को संस्था का 10001रू0 नगद या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वालों को आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य/साधारण सदस्य — 3– बौद्ध धर्मावलम्बी व्यक्तियो को संस्था का प्रतिवर्ष 1001रू0 वार्षिक सदस्यता प्रदान करने पर संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5–सदस्यता की समाप्ति – किसी सदस्य की मृत्यु, पागल या दिवालिया, संस्था के विरूद्ध कार्य करने पर, अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर, सदस्यता शुल्क न जमा करने पर, अनैतिक अपराध में लिप्त होने पर या न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

6–संस्था के अंग – संस्था के दो अंग होगे–
1– साधारण सभा
2– प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति

7–साधारण सभा – साधारण सभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा।

बैठक सामान्य/विशेष – साधारण सभा की बैठक प्रत्येक छः माह में एक बार अवश्य होगी और विशेष बैठक 24 घण्टे की सूचना पर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि – बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व देना आवश्यक है। सदस्यों को सूचना बुक पर हस्ताक्षर प्राप्त कर अथवा आर्डर पोस्टिंग सर्टिफिकेट या अन्य माध्यम से दिया जायेगा।

बैठक की गणपूर्ति 2/3 सदस्यों की उपस्थिति पर होगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक दुबारा होने पर गणपूर्ति की आवश्यकता नही होंगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि – साधारण सभा की वर्ष में एक बार अधिवेशन होगा। उस समय सभी सदस्यों को आमन्त्रित किया जायेगा।

साधारण सभा के कर्तव्य – साधारण सभा में संस्था की कोई भी अचल/चल सम्पत्ति निहित नही होगी। बिना साधारण सभा के पूर्व स्वीकृत के प्रबन्धकारिणी समिति कोई भी कार्य कर सकती। ।

8–प्रबन्धकारिणी समिति – संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। प्रबन्ध समिति के सात सदस्यों का चुनाव संस्था के आजीवन सदस्यों में से चार सदस्यों का चुनाव साधारण सदस्यों में से करेगे। कुल ग्यारह सदस्यों की यह संस्था होगी। चुनाव जहॉ तक सम्भव होगा गठन पूर्व समिति से होगा नही तो साधारण बहुमत द्वारा गोपनीय मतदान के आधार पर होगा। प्रबन्ध समिति के सदस्यों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव एवं 8 कार्यकारिणी सदस्य होगे।

बैठकें – प्रबन्धकारिणी समिति की प्रत्येक 6 माह में एक बैठक होगी। आवश्यकता पडने पर 24 घण्टे की सूचना पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि – बैठक की सूचना सामान्य स्थिति में अण्डर पोस्टिग सर्टिफिकेट द्वारा एक सप्ताह पूर्व आवश्यक होगी। अन्य माध्यम से सूचना दिया जायेगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि – प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के सदस्यो के स्थान मृत्यु, त्याग पत्र अथवा किसी कारण से निष्कासित होने पर साधारण सभा में से चुनाव कर पूर्ति करेगा।

9–प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य
1. संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।
2. वार्षिक कार्यकमो की रूपरेखा तैयार करना अथवा लागू करना।
3. वार्षिक रिर्पोट प्रकाशित करना।
4. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का ब्योरा रखना।
5. उपसमितियो के उपनियमों को बनाना और उनके पदाधिकारियों को नियुक्त करना।
6. संस्था के विवादों को सुलझाना।
7. संस्था के विकास हेतु प्रसाय करना।
8. प्रबन्ध कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

10–प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष
1. सभी प्रकार की बैठकों के अध्यक्षता स्वीकार करना।
2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
3. समय–समय पर संस्था के कार्यो का निरीक्षण करना।
4. सामान्य मत होने पर अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग करना।
5. बैठकों की तिथियों का अनुमोदन करना।
6. मंत्री/सचिव द्वारा अनुमोदित त्याग पत्रों को स्वीकार करना।
7. संस्था के विकास में अपना योगदान करना।

उपाध्यक्ष – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्योको सम्पादित करना और सामान्य स्थिति में उसका सहयोग करना।

चन्द्रभान सिंह सुखपालसिंह भानसिंह

मंत्री / सचिव

1. सभी प्रकार की बैठको को संचालित करना।
2. बैठकों की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।
3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. वार्षिक बजट साधारण सभा द्वारा पारित करना।
5. संस्था की ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
6. संस्था के ओर से समस्त बिलों बाउचरो पर हस्ताक्षर करना।
7. संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
8. संस्था के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करना।
9. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्द्रा, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
10. प्रबन्ध समिति द्वारा समय–समय पर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।
11. अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतन वितरण एवं पद पदच्युत करना।
12. संस्था की सभी चल व अचल सम्पत्ति पर नियन्त्रण रखना। समस्त अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
13. संस्था के विकास हेतु सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना।
14. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड खादी आयोग के नियमानुसार संस्था संचालन, प्रबन्ध व प्रसार करना।

11–संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन : संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन साधारण सभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से सोसायटी अधिनियम की धारा 12 एवं 4 के द्वारा की जायेगी।

12–संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक में या पोस्ट आफिस में रखा जायेगा, जिसका संचालन संस्था के मंत्री/सचिव के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

13–संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण : संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

संस्था द्वारा उसके विरूद्ध अदालती करर्यवाही के संचालन का उत्तरदात्वि :

संस्था द्वारा या उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व मंत्री/सचिव या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति।

14–संस्था के अभिलेख : संस्था के अभिलेख सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, आदि एवं आवश्यक कागजात मंत्री/सचिव के पास सुरक्षित रहेगे।

15–संस्था के सामूहिक एवं व्यक्तिगत : संस्था द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी करने का

सुखराम सिंह

उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्ध समिति के प्रत्येक सदस्य पर सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से होगा। यह दायित्व सदस्यो पर तब तक बना रहेगा जब तक कि ऋण दाता के ऋण की पूर्ण अदायगी न हो जाय। चाहे भले ही वह संस्था की सदस्यता पृथक क्यो न हो गया। ऋण के विषय में जमानत हेतु संस्था की निजी सम्पत्ति का बन्धक होगा। यदि संस्था के पास निजी सम्पत्ति न हो तो संस्था का कोई सदस्य या पदाधिकारी अपनी अचल सम्पत्ति को बन्धक कर सकेगा। संस्था/समिति की भूमि बन्धक करने से पहले सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 5ए उ0प्र0 संशोधन के अनुसार जिला जज से अनुमति लेना अनिवार्य है।

16–संस्था के विघटन : साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत से संस्था का विघटन किया जा सकता है और सम्पत्ति के निस्तारण संस्था के सभी दायित्यों के पूर्ण करने के पश्चात अवशेष धन का समान उद्देश्यों हेतु संस्था को हस्तान्तरित किया जा सकता है। जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

सुषमासिंह

22/12/2014

22-12-14